



Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences

(State University, Government of M.P.)

Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) – 453441, Indore (M.P.), India

Phone : (07324) 274377, Fax : (07324) 272350

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय
(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

क्रमांक-ब्राउस/स्था/2018/1385

दिनांक : 03.03.2018

अधिसूचना

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2015 की धारा 22 (1-तीन) के अन्तर्गत तैयार किये गये रेग्यूलेशन 01 में अधिनियम की धारा 34 के परन्तुक के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय अधिनियम 2015 की धारा 44 (4)(दो) के अन्तर्गत प्रदत्त कार्य परिषद के अधिकारों के तहत कुलपति जी द्वारा संशोधन अनुमोदित किये गये हैं।

यह संशोधित रेग्यूलेशन-01, अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील मान्य किया जाता है।

आदेशानुसार,

संलग्न : रेग्यूलेशन 01 संशोधन की छायाप्रति।

(डॉ. एच.एस. त्रिपाठी)
कुलसचिव

पू.क.ब्राउस/स्था/2018/

दिनांक :03.03.2018

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, वल्लभ भवन, भोपाल
2. कुलपति के निज सचिव की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त डीन, ब्राउस
4. वित्त नियंत्रक, ब्राउस
- ✓ 5. बेवसाईट इंचार्ज की ओर विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर देने हेतु।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


कुलसचिव

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय

डॉ. अम्बेडकर नगर(महू) जिला-इन्दौर(म.प्र.)

1. रेयूलेश कमांक 01
2. शीर्षक : Appointment of professor, Associate Professor, Assistant Professor and other Teaching & Administrative Posts of the University.
3. कार्य परिषद का अनुमोदन दिनांक : 23.01.2016
4. प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन दिनांक : 03.03.2018
5. अनुमोदन प्राधिकारी समिति : कार्य परिषद
(अधिनियम -2015 की धारा 44(4)(दो) के अन्तर्गत कार्य परिषद के अधिकारों के तहत कुलपति द्वारा अनुमोदित)

स. क.	विनियम कमांक	कडिका	वर्तमान प्रावधान (Present Provision)	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	01	09 New provision	Special Provision	to be added as provisio in 9 (c); "Provided that the teachers or employees to be appointed in the university on deputation from the Government or other similar organization need not to face the process of any selection Committee." New Sub clause as ; d) The Madhya Pradesh Public Services Commission (MPPSC) referred in clause 9(a) and MPPEB or similar Government Agency referred in clause 9 (b) are deemed to be Selection Committee as provided in Section 22(1)(iii) of the Act in addition to the selection committee referred to in clause (5) of the regulation.	These provisions are meant to clarify Selection procedures and Selection Committee in view of the provisions given in Section 22(1)(iii) of the Act.

अनुमोदित

(बी. राजगोपाल रायडू)
कुलपति

(डॉ. एच.एस. त्रिपाठी)
कुलसचिव